न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
प्रार्थना –पत्र नम्बर 14 / 2021
अनवान कालूराम वगैरा बनाम हुकमचन्द वगैरा
प्रार्थना – पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) आरटीए

1. कालूराम पुत्र गोपालराम जाति ब्राहम्ण सा.रतनपुरा तहसील संगरिया।
2. उग्रसेन पुत्र गोपालराम जाति ब्राहम्ण सा.रतनपुरा तहसील संगरिया।

प्रार्थीगण

बनाम

1 हुकचन्द पुत्र धर्मचन्द (नाम विलोपित)
2 तरसेम कुमार पुत्र धर्मचन्द
3 महावीर पुत्र रतीराम (नाम विलोपित)
4 देवीलाल पुत्र मालराम (नाम विलोपित)
5 अनिता पुत्री प्रेमलता (नाम विलोपित)
6 गीतादेवी पत्नी साहबराम (नाम विलोपित)
7 सुभाषचन्द्र पुत्र साहबराम (नाम विलोपित)
8 मंजू पुत्री साहबराम (नाम विलोपित)
9 सन्तोष पुत्री साहबराम (नाम विलोपित)
10 सरस्वती पत्नि गोपालराम (नाम विलोपित)
11 सुमित्रा पुत्री गोपालराम (नाम विलोपित)
12 नीलम पुत्री गोपालराम (नाम विलोपित)
13 ममता पुत्री गोपालराम (नाम विलोपित)
14 इन्द्रा पुत्री गोपालराम (नाम विलोपित)
15 राजेन्द्र पुत्र हनुमान प्रसाद (नाम विलोपित)
16 अनिल कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद (नाम विलोपित)
17 सुरेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश (नाम विलोपित)
18 उमेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश (नाम विलोपित)
19 हजारी पुत्र शेराराम (नाम विलोपित)
20 कृष्ण कुमार पुत्र शेराराम (नाम विलोपित)
21 तहसीलदार राजस्व संगरिया
22 सुभाष पुत्र महेन्द्र कुमार जाति जाट साकिन रतनपुरा।

उपखण्ड अधिकारी संगरिया जिला हनुमानगढ़

जाति ब्राहम्ण सा.संगरिया
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

अप्रार्थीगण

–:आदेश:–

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर.टी.एक्ट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम चक 4 एमजेडी खाता संख्या 57 / 60 खाता महावीर वगैरा ज.स. 2070–2073 में सांझा ख़ाता में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक खाता की नकल जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम से चक 4 एमजेडी खाता संख्या 95 / 88 खाता हुकमाराम वगैरा ज.स. 2070–2073 में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के उक्त खाता की नकल जमाबन्दी संलग्न है। प्रार्थी के कब्जा काश्त की आराजी चक 4 एमजेडी के प.न. 172 / 185 मु.न. 22 के किला नं. 6 ता 8, 13 ता 18 में आने जाने हेतु व कृषि कार्य यंत्र लाने ले जाने हेतु कोई मन्जूर शुद्वा रास्ता नही है जिस कारण प्रार्थी को भारी असुविधा होती है और प्रार्थी अपनी कृषि भूमि मे जाने से वंचित है। प्रार्थी अपने खेत

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Scanned with OKEN Scanner

आने जाने हेतु व कृषि यंत्र लाने ले जाने हेतु चक 4 एमजेडी के प.न. 172/185 मु.न. 22 के किला न. 23 मे किला नं. 22 से विपता हुआ उत्तर से दक्षिण दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है तथा उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में मंजूरशुदा रास्ता इसी चक 4 के प.न. 172/185 मु.न. 23 किला नं. 21 ता 25 से विपता हुआ है यह प्रार्थीगण के खेत मे आने जाने हेतु उक्त रास्ता ही एकमात्र रास्ता है। तथा सबसे नजदीकी रास्ता है। उक्त रास्ता मौका पर चालू है व प्रार्थी उक्त रास्ता से ही अपने खेत में आ जा रहा है। उक्त आराजी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हक व हिस्सा व कब्जा काश्त की है। उक्त रास्ता के बदले में प्रार्थीगण उतनी ही कृषि भूमि या उक्त आराजी का बाजार भाव जो भी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 जो उचित समझे देने को सदैव तैयार है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से कई दफा निवेदन किया कि आप चक 4 एमजेडी के प.न. 172/185 मु.न. 22 के किला नं. 23 में किला नं. 22 से विपता हुआ उत्तर से दक्षिण दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवा देवे व राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी गै.मु.आराजी के रूप में दर्ज करवा देवे और उक्त रास्ता के बदले में उतनी ही कृषि भूमि या उक्त आराजी का बाजार भाव जो भी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उचित समझे प्रार्थी से प्राप्त कर लेवे तथा मौका पर चालु उक्त रास्ता को बन्द करने से निषेध रहे तो इस पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 पहले तो आज कल कहकर टाल मटोल करते रहे किन्तु अन्त में अप्रार्थी प्रार्थी के इस निवेदन से स्पष्ट इन्कार हो गए और उक्त चालू रास्ता बन्द करने की धमकी देने लगे। बस यही विवाद दर. है।

लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर चक 4 एमजेडी के प.न. 172/185 मु.न. 22 के किला नं. 23 में किला नं. 22 से विपता हुआ उत्तर से दक्षिण दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जावे व राजस्व रिकार्ड्ड में उक्त आराजी गै.मु.रास्ता आराजी के रूप में दर्ज की जावे।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद सूचना उपस्थित नही हुआ। अप्रार्थी संख्या 22 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर भी प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत न कर अ.आ. 8 नियम 2 सहपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो न्याय संगत नही होने के कारण खारिज किया गया। इस कार्यालय द्वारा तहसीलदार संगरिया से उक्त रास्ता के प्रकरण को सही रूप से निस्तारण करने एवं मौका की जांच रिपोर्ट चाही जाने पर उन्होने अपने पत्र क्रमांक 1119 दिनांक 17.02.2025 द्वारा प्रार्थी वर्तमान में अपने खेत में जाने के लिए चक 4 एमजेडी के प.न. 172/185 मु.न. 22 किला नं. 23/1 मे पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण प्रस्तावित रास्ते से आवागमन करना ओर प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता होना बतलाते हुए रास्ता स्वीकृत किये जाने की अनुशंषा की गई।

पत्रावली में तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, मुताबिक रिपोर्ट रास्ता की अत्यांतिक आवश्यकता है, रास्ता की मांग सुविधा के लिये नही की जा रही है जबकि आवश्यकता होने पर स्वीकृत करवाना चाहते है।

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251 ए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" एवं वैकल्पिक रास्ते का अभाव पर विचारण किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्टतया प्रकट होता है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 4 एमजेडी में काश्त करने बाबत जाने हेतु मन्जूर शुदा रास्ते का अभाव होने से रास्ते की आत्यंशिक आवश्कता है। अतः यह रास्ता सुविधा के लिए नहीं अपितु आत्यंतिक आवश्यकता के लिए है। अतः न्यायहित में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए एक्टोर में अप्रार्थी के रकबा में से चक नम्बर 4 एमजेडी के प.न. 172/185 मु.न. 22 के किला नं. 23 में किला नं. 22 से चिपता हुआ उत्तर से दक्षिण दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है और इसके बदले में प्रार्थीगण का किला नम्बर 18 मे से उक्तानुसार रकबा कम कर किला नं. 23 के चिपता अप्रार्थीगण के नाम दर्ज किये जाने के आदेश जाते है। अप्रार्थी को उक्त रकबा का उक्तानुसार कब्जा दिलवाया जाकर भू.अ.निरीक्षक/हल्का पटवारी की उपस्थिति में रास्ता चालू करवाया जाना सुनिशिचित करे। तहसीलदार सांगरिया को इस बाबत अवगत लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

आदेश आज दिनांक 28.3.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी,
सांगरिया